

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

राजेन्द्र व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य

GMS-2025/39

दिनांक :- 17/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.01.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी अन्तरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थीगण की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 05.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p> <p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक.....12/2/25 को पेश हो</p> <p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..... 12/2/25 को पेश हो</p> <p>19/2/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली सं. 2 ला पक्ष कोर से सुनने पर पक्षी वकील के पावर-पेश किया। पत्रावली शेष के तलबी व पत्रावली हेतु आगामी दिनांक 05/3/25 को पेश हो</p> <p>05/3/25 पत्रावली पेश हुई। प्रा. पत्र विद्वा क पेश हुआ। मूल वाद में प्रा.पत्र-विद्वा क स्वीकार किया जा चुका है अतः इन पत्रावली के प्रा.पत्र विद्वा क स्वीकार प्रा.पत्र खारिज कर लाल किया जाता है पत्रावली के लिए अग्रिम पेशी के दिनांक से मा. घे तथा डाखिल उपर दस्तावेज</p>	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

राजेन्द्र
अ-दि कमनापका
2025